भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

***तारांकित प्रश्न संख्या 14**

सोमवार, 17जुलाई 2017/ 26 आषाढ, 1939 (शक)

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

***14. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और लिंग-वार मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के दायरे को बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास संबंधी श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा दिनांक 17.07.2017 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 14 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): 'बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, 2016' की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(1) छुडाए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 1 लाख रुपये प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी, विशेष श्रेणी के लाभार्थी यथा अनाथ बच्चों अथवा संगठित एवं जबरन भीख मंगवाने वाले गिरोह से छुड़ाए गए बच्चों अथवा अन्य बलात बाल श्रम के अन्य स्वरुपों और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये तथा अति उपेक्षा अथवा अभावग्रस्त बंधुआ अथवा बलात मजदूरी के मामलों जैसे परालिंगियों अथवा व्यापक यौन उत्पीड़न जैसे कि वेश्यालयों, मसाज पार्लरों, प्लेसमेंट एजेंसियों आदि अथवा दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं अथवा बच्चों अथवा दिव्यांगजनों के मामलों में अथवा जहां भी जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे, 3 लाख रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति आधार पर 100% पुनर्वास राशि का वित्त-पोषण किया जाता है।

(3) इस स्कीम में बंधुआ श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिए राज्यों को प्रति जिला 4.50 लाख रुपये और मूल्यांकन संबंधी अध्ययनों के लिए 1.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है और जागरूकता सृजन हेतु प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। केन्द्र सरकार सर्वेक्षण कराने, जागरूकता सृजन तथा मूल्यांकन संबंधी अध्ययन कराने के लिए अग्रिम स्वरूप अपेक्षित राशि का 50% प्रदान करेगी। कोई राज्य प्रति संवेदन जिलें में प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सर्वेक्षण करा सकती है। कोई राज्य प्रति वर्ष 5 मूल्यांकन अध्ययन करा सकती है।

(4) पुनर्वास सहायता को जारी करना अभियुक्त की दोषसिद्धि से जोड़ दिया गया है। तथापि, दोषसिद्धि की कार्यवाही की स्थिति से प्रभावित हुए बिना जिला प्रशासन द्वारा छुडाए गए बंधुआ श्रमिक को 20,000/-रुपये तक की तत्काल सहायता प्रदान की जा सकती है।

(5) स्कीम में प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधि के सृजन के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की स्थायी निधि का प्रावधान है जो मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की तत्काल सहायता के लिए जिला मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन है।

(6) उपर्युक्त लाभ, अन्य नकद अथवा गैर-नकद लाभों के अतिरिक्त होंगे जिसके लिए लाभार्थी फिलहाल लागू किसी अन्य स्कीम अथवा कानून द्वारा अथवा उसके तहत इस स्कीम के अंतर्गत पात्र हो। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त लाभ निम्नानुसार अन्य भूमि एवं आवासीय घटकों आदि के अतिरिक्त होंगे:

- आवास स्थल एवं कृषि योग्य भूमि का आबंटन।
- भूमि विकास।
- कम खर्च वाली आवासीय इकाईयों का प्रावधान।
- पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन आदि।
- मजदूरीयुक्त नियोजन, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन आदि।
- अल्प वानिकी उत्पाद का संग्रहण और प्रसंस्करण।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति।
- बच्चों के लिए शिक्षा।

(ख) और (ग): मई, 1978 से प्रभावी केन्द्र द्वारा प्रायोजित बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास के संबंध में निर्गत केन्द्रीय अंशदान तथा मुक्त कराए गए एवं पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या निम्नवत हैं:

वर्ष	राज्य	मुक्त कराए गए एवं पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
2014-15	छत्तीसगढ़	853	85.30
2015-16	उत्तर प्रदेश	2216	221.60
2016-17	बिहार	1792	179.20
	झारखंड	118	11.80
	ओडिशा	258	25.80
	उत्तर प्रदेश	258	25.80
	कर्नाटक	181	18.1
2017-18	--	--	--

मुक्त कराए गए एवं छुडाए गए बंधुआ श्रमिकों का लिंग-वार विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को जागरूकता सृजन की गतिविधियों के आयोजन के लिए 10.00 लाख रुपये की राशि निर्गत की गई थी।

(घ) जी नहीं।

*****